एक नजर में

राजेंद्र भारती के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नई डेट दी

दतिया. दतिया में निर्वतमान विधायक राजेंद्र भारती के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नई डेट दी है.अब 26 मई को सुनवाई होगी. इससे पहले 29 जुलाई की डेट दी थी.

6 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जब्त

नीमच. थाना प्रभारी मनासा निरीक्षक निलेश अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस चौकी कंजार्डा द्वारा एक ट्रेक्टर ट्रॉली से अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा जप्त किया।6 मई को वाहन चैकिंग के दौरान रोड पर एक संदिग्ध बिना नंबर का जॉन डियर ट्रेक्टर मय ट्रॉली कंजार्डा तरफ से आ रहा था जिसे रोका व तलाशी लेते ट्रेक्टर चालक सत्यनारायण धाकड़ पिता नानालाल धाकड़ निवासी कंजार्डा चला रहा था. ट्रेक्टर की ट्रॉली के अन्दर से 30 प्लास्टिक के कट्टों मे भरा 06 क्विंटल 01 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया।थाना मनासा पर ट्रेक्टर चालक के विरुध्द धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया है.

पेशी पर पहुंचा बदमाश चाकू के साथ धराया

जबलपुर। ओमती थाना अंतर्गत जिला न्यायालय गेट नंबर तीन के बाहर पुलिस ने दबिश देते हुए एक बदमाश को चाकू समेत पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपी पेशी में आया हुआ था।पुलिस के मुताबिक प्रेम सोनकर पिता संजू सोनकर 20 वर्ष निवासी बापू नगर रांझी के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज है। आरोपी गुरूवार दोपहर पेशी में जिला न्यायालय आया हुआ था। सूचना मिली कि आरोपी गेट नंबर तीन के बाहर खड़ा हुआ है और चाकू रखे हुए है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया जिसके बाद से एक बटनदार चाकू बरामद हुआ।

आम से भरा ट्रक पलटने से यातायात प्रभावित

सिवनी. जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सोनाडोंगरी के पास गुरुवार सुबह करीब 10 बजे एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया, जब आम से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया.हादसे के बाद ट्रक में लदा आम सड़क पर बिखर गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज रफ्तार में नागपुर की ओर से जबलपुर की दिशा में जा रहा था.इसी दौरान सोनाडोंगरी के समीप चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक अचानक सड़क किनारे पलट गया. ट्रक पलटते ही उसमें भरे आम सड़क पर फैल गए.घटना के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए और कुछ देर के लिए सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

शराब माफिया पर कसा शिकंजा

सिवनी मालवा में 25 लाख की अवैध शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

सिवनी मालवा /नर्मदापुरम, 7 मई. जिले के सिवनी मालवा में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सिवनी मालवा पुलिस ने 2574.720 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब से भरी बोलेरो पिकअप जब्त कर दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. 25 लाख 74 हजार 720 रुपये आंकी गई.वहीं तस्करी में इस्तेमाल बोलेरो पिकअप की कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई गई है. जब्त मशरूका की कुल कीमत 27 लाख 74 हजार 720 रुपये है.

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की बोलेरो पिकअप में भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर सिवनी मालवा से ढेकना की ओर सप्लाई करले जा रही है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लोखरतलाई रोड पर घेराबंदी कर बाकाबेड़ी पहुंच मार्ग के पास संदिग्ध बोलेरो पिकअप क्रमांक स्क्र२८ त१००८ को रोक लिया. तलाशी के दौरान पुलिस भी दंग रह गई. वाहन में पीले तिरपाल से ढकी 298 पेटियां भरी मिलीं. सहायक उपनिरीक्षक उमेश मिश्रा ने बताया कि कागज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे.

जांच में सभी पेटियों में ऑफिसर च्वाइस अंग्रेजी शराब के 180 एमएल के 48-48 क्वार्टर पाए गए. कुल 2574.720 लीटर अवैध शराब बरामद हुई पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें रमेश उर्फ गंगाराम चौरगढे और विजेश उइके शामिल है.दोनों आरोपी बैतूल जिले के निवासी हैं. उनके शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है.पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के निर्देशन में थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर एवं टीम द्वारा की गई.

लहार में दुकानें तोड़ी, बुलडोजर चला

भिंड.लहार में प्रशासन ने न केवल भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की बल्कि शराब बिक्री के लिए बनाए गए एक अवैध ढाबे को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया.एसडीएम विजय सिंह यादव को लंबे समय से लहार नगर में लाइसेंस वाली दुकानों के अलावा अन्य जगहों पर अवैध शराब बिक्री की सूचना मिल रही थी.करीब एक सप्ताह पहले भी टीम भेजी गई थी, लेकिन सूचना लीक होने के कारण शराब कारोबारी सतर्क हो गए थे और कार्रवाई सफल नहीं हो सकी थी.एसडीएम विजय यादव, तहसीलदार दीपक शुक्ला और राजस्व टीम के साथ अचानक मौके पर पहुंचे. उन्होंने शराब बेचते हुए लोगों को रंगे हाथों पकड़ा. इसके बाद पुलिस और आबकारी टीम ने मोर्चा संभाला.कार्रवाई में 31 क्वार्टर अंग्रेजी और 74 क्वार्टर देसी

शराब जब्त की गई. एसडीएम ने तत्काल नगर पालिका की जेसीबी बुलवाकर अवैध ढाले को ध्वस्त करवा दिया. एसडीएम ने आबकारी विभाग को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि अगले सात दिनों के भीतर पूरी तहसील में जहां भी अवैध शराब की दुकानें संचालित हैं, उन्हें बंद कराया जाए.इस कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक अजीत यादव, एसआई एम.एल. डोंगर और राजस्व अमला मौजूद रहा.

नहीं थम रहे पिकअप हादसे

खरगोन, निप्र। जिले के सिरवेल क्षेत्र में बीती रात बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 बालिकाओं की मौत हो गई, जबकि डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इनमें महिला-पुरुष समेत 18 लोग शामिल है। पिकअप में सवार सभी लोग बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे में मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। गुरुवार को पीएम पश्चात मृतकों का शव उनके परिजन को सौंपा गया।

जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बेखौफ होकर लोडिंग वाहनों में सवारियां ढोही जा रही है। मिली जानकारी अनुसार ग्राम पिपल्याबावड़ी और रोजड़ा से ग्रामीण पिकअप में सवार होकर महाराष्ट्र बारात लेकर गए थे। देररात लौटते समय वाहन बिस्टान थानाक्षेत्र के ग्राम पांच बैड़ी और गलतार के बीच अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन पलटते ही चीख- पुकार मच गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए। घायलों की मदद की। 112 पर सूचना दी गई। मौके पर चार एबुलेंस पहुंची, जिनसे घायलों को अस्पताल लाया गया। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी अनुसार हादसे में सुनीता पिता गोरेलाल (12) निवासी रोजड़ा और पूजा पिता रतन (15) पिपलिया बावड़ी निवासी की मौत हो गई। डॉ. रेहान खान ने बताया कि घायलों में 5 की हालत गंभीर है, जिनका आईसीयू में उपचार किया जा रहा है। जबकि अन्य घायलों का ट्रामा सेंटर में उपचार जारी है।

यह हुए घायल:- हादसे में चंपाबाई रुस्तम (29), युवराज रतन (12), रुस्तम सखाराम (24), पुजा रतन (10), रितेश रुस्तम (10), जीनु बीरु (5), दीपक मालू (5), वीरु हरदास (26), रदान गुलसिंह (60), सीरु मुटनीया (25), सुनीता गोरेलाल (16), रानू रेमा (16, तेरसिंग रेमा (30), रवीना भाया (8), सुनीता वीरु (23), केसरी बाई सखाराम (48), प्रमीला तेरसिंग (4)घायल हुए है।

रिश्वत लेते तीन डॉक्टर रंगे हाथ पकड़ाए

लोकायुक्त की कार्रवाई...

- स्वास्थ्य केंद्र में 25 हजार की ले रहे थे रिश्वत
- निजी लैब भेजने के एवज में मांग रहे थे घूस

इंदौर. लोकायुक्त पुलिस इंदौर की टीम ने बड़वानी जिले के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ तीन डॉक्टरों को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

आरोपी मरीजों को निजी लैब पर भेजने के एवज में कमीशन मांग रहे थे. तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. लोकायुक्त पुलिस की अधिकृत जानकारी के अनुसार फरियादी अदनान अली उम्र 27 साल निवासी राजपुर, अपने पिता की पैथोलॉजी लैब में मैनेजर है. उसने शिकायत में बताया कि आरोपी डॉ. अमित शाक्य, डॉ. दिव्या साईं और डॉ. मनोहर गोदारा मरीजों को उसकी लैब पर भेजने के बदले 20 फीसदी कमीशन लेते थे, जिसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. शिकायत के सत्यापन में मामला सही पाया गया. इसके बाद तीनों आरोपी कम रकम लेने पर सहमत हुए. तय योजना के अनुसार गुरुवार को लोकायुक्त टीम ने ट्रैप बिछाया. इस दौरान डॉ. अमित शाक्य को 8 हजार, डॉ. दिव्या साईं को 5 हजार और डॉ. मनोहर गोदारा को 12 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. उक्त कार्रवाई डीएसपी सुनील तालान और उनकी टीम द्वारा की गई है. डीएसपी ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जिला कांग्रेस सेवादल नीमच के फुटबॉल को पुनः शीर्ष पर स्थापित करेगा

नीमच।नीमच फुटबॉल का गढ़ रहा है। यहां कालू कप्तान, हमीदुल्लाह, ओ पी साहू, महेंद्र चतुर्वेदी, करीम साहब, शफी चाचा, विजय कोटिया सरीके बेहतरीन खिलाड़ी निकले हैं । जिन्होंने अपने खेल कौशल से नीमच का नाम भारत के नक्शे पर अंकित कर दिया। किंतु पिछले 20 वर्षों से नीमच के फुटबॉल में गिरावट महसूस की जा रही है ।इन्हीं खामियों के मद्देनजर जिला कांग्रेस सेवादल नीमच द्वारा छोटे-छोटे 15 वर्ष तक के बच्चों को स्टेडियम में एकत्र कर प्रशिक्षित करेगा। मयंक सैनी, मटरू सैनी, शंकर कप्तान कोच की भूमिका निभाएंगे । उक्त जानकारी शिविर संयोजक और जिला कांग्रेस सेवादल के जिला अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने दी । श्री यादव ने बताया कि प्रतिदिन स्टेडियम में प्रातः 7 से 9 बजे तक गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण के बाद स्टेमिना बढ़ाने के लिए भीगे हुए चने- मूंगफली, केले का नाश्ता दिया जाएगा ।

सागर को मिलकर आदर्श जिला बनाएं

नवभारत न्यूज

सागर 7 मई. जिले के समग्र विकास के लिए सभी समन्वयक रूप से प्रयास करें. जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण कराएं। सागर रिंग रोड, बायपास का कार्य शीघ्रता से करें, साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू करें.

मध्यप्रदेश सरकार समग्र विकास के लिए संकल्पित है. उक्त विचार उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सागर में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में व्यक्त किए. उप मुख्यमंत्री मंत्री श्री शुक्ल ने बैठक में निर्देश दिए कि सागर को आदर्श जिला बनाने के लिए सभी समन्वयक रूप से कार्य करें. स्मार्ट सिटी के माध्यम से सागर में अन्य शहरों की अपेक्षा बहुत अच्छे कार्य हुए है. जिससे सागर अपनी नयी पहचान बनाने में

सफल हुआ है. उन्होंने कहा कि सागर शहर को जोड़ने वाले रिंग रोड एवं भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर को जोड़ने वाले वाईपास का कार्य शीघ्र गति से पूरा करें जिससे जिलेवासियों के साथ अन्य व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि बीना रिफाईनरी के परिक्षेत्र में सड़कों का निरीक्षण करें एवं मरम्मत के लिए डीपीआर तैयार कराएं. इसी प्रकार प्रधानमंत्री सड़क के प्रस्ताव विधानसभावार तैयार कर सूची उपलब्ध कराएं. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की स्वीकृति भूमिपूजन, लोकापर्ण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुनिश्चित करें.

उन्होंने कहा कि सागर नगर की ट्राफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्टिंग का कार्य एवं राजघाट चौराहे से धर्मश्री तक सड़कों से खंभे हटाने का कार्य शीघ्र गति से करें. विधायक एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ब्लड बैंक की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. जिस पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल द्वारा जिला चिकित्सालय से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को ब्लड बैंक हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए.

खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त

खरगोन, निप्र। कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान बस स्टैंड क्षेत्र स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए गए।

कार्रवाई में नटराज टी कार्नर एवं ओम शिवाय होटल से सोयाबिन तेल, ओम शिवाय भोजनालय से वनस्पति, मानसी रेस्टॉरेंट से वनस्पति एवं पेडा, गुप्ता कचोरी होटल एवं शिव संगम होटल से सोयाबिन तेल तथा नटराज कैफे हाउस से मिल्क केक के नमूने लिए गए। संग्रहित सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एच.एल. अवास्या एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आर.आर. सोंलकी उपस्थित रहे।

क्रूज हादसा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा

जबलपुर, 07 मई. क्रूज हादसे मामले में लापरवाही के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने तथा निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गयी है. इसके अलावा तीन अन्य याचिका शीघ्र दायर किये जाने वाली है.

पुलिस प्रशासन के द्वारा क्रूज चालक तथा क्रू सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह जिला न्यायालय में किया गया है.गौरतलब है कि 30 अप्रैल की शाम को तेज हवाओं के कारण नर्मदा नदी के बरगी बांध में पर्यटन विकास निगम का क्रूज अनियंत्रित होकर पलट गया था. इस हादसे में आठ महिला, चार बच्चों सहित 13 व्यक्तियों की मौत हो गयी थी. रेस्क्यू ऑपरेशन कर 28 व्यक्तियों को बचा लिया गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान क्रूज को बाहर निकाल लिया गया था और सर्चिंग कार्य के दौरान उसे टुकडो में काट दिया गया था. क्रूज हादसे को संज्ञान में लेते हुए जिला न्यायालय ने मंगलवार को चालक सहित अन्य सदस्यों के खिलाफ बरगी थाना प्रभारी को दो दिनों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये थे. जेएमएफसी डी पी सूत्रकार ने बरगी हादसे के संबंध में समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए अपने आदेश में कहा है कि प्रकाशित खबरों के अनुसार चालक के द्वारा क्रूज अपेक्षा पूर्वक नहीं चलाया गया. जिसके कारण क्रूज डूबने से कई व्यक्तियों की मौत हो गयी. चालक स्वयं क्रूज की गतिविधियों से परिचित होने पर भी उसके सवार यात्रियों को डूबता छोड़कर सकुशल बच निकला. उसके द्वारा उन्हें बचाने के कोई प्रयास न किया जाना धारा 106 भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 110 अपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न को दर्शाता है.

नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई

जबलपुर, 07 मई. मप्र हाईकोर्ट ने ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी ट्रस्टी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को पूरी तरह से मान्य किया है. जस्टिस आरसीएस बिसेन की एकलपीठ ने विविध अपील को प्रथम अपील के रूप में बदलकर उस पर सुनवाई करने के निर्देश दिये है. यह मामला ओंकारेश्वर मंदिर पब्लिक ट्रस्ट के कार्यकारी प्रबंध ट्रस्टी की नियुक्ति से जुड़ा है.

डीआईजी अमित सांघी रिलीव असित यादव ने संभाला पदभार

ग्वालियर, 07 मई.भिंड एसपी पद से स्थानांतरित होकर आए आईपीएस अधिकारी असित यादव ने ग्वालियर रेंज के नए डीआईजी का पदभार ग्रहण कर लिया है. निवर्तमान डीआईजी अमित सांघी अब शनिवार को भोपाल के लिए रवाना होंगे, जहां वे पुलिस मुख्यालय में डीआईजी होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ का कार्यभार संभालेंगे.

पुलिस लाइन में अधीनस्थ अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने डीआईजी अमित सांघी को भावभीनी विदाई दी. ?अमित सांघी का ग्वालियर में डीआईजी और इससे पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यकाल लोगों के जेहन में हमेशा याद रहेगा. ग्वालियर रेंज के नए डीआईजी

असित यादव भारतीय पुलिस सेवा के बेहद अनुशासित अधिकारी हैं.मूलतः मेरठ के रहने वाले असित यादव को उनके सख्त तेवरों के कारण सिंघम भी कहा जाता है.अपने भिंड एसपी कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए.

अनोखी शादी | सतना केंद्रीय जेल में उम्र कैद की सजा काटने के दौरान हुआ प्यार

महिला जेल अफसर ने पूर्व कैदी संग लिए सात फेरे

नवभारत न्यूज

छतरपुर, 7 मई. जिले का लवकुशनगर इन दिनों एक अनोखी शादी को लेकर चर्चा में है. यहां एक मैरिज हाउस में सतना केंद्रीय जेल में पदस्थ सहायक जेल अधीक्षक फिरोजा खातून ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट चुके धर्मेंद्र सिंह के साथ हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लिए.

जानकारी के अनुसार, दोनों की मुलाकात सतना जेल में हुई थी. उस समय फिरोजा खातून जेल में वारंट इंचार्ज के पद पर तैनात थीं, जबकि धर्मेंद्र सिंह जेल में सजा काट रहा था. वारंट सेक्शन में काम के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई.

धर्मेंद्र सिंह वर्ष 2007 में चर्चित कृष्ण दत्त दीक्षित हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था. करीब 14 साल जेल में बिताने और अच्छे आचरण के चलते रिहा होने के बाद भी दोनों के बीच रिश्ता बना रहा.

परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी का फैसला लिया. लवकुशनगर में हुए इस विवाह में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजा खातून का कन्यादान किया. हिंदू रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुई यह शादी अब इलाके में चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम सुनवाई निर्धारित

जबलपुर। केंद्रीय मंत्री शिवराज के बेटे के द्वारा दायर मानहानि के मामले में भोपाल जिला न्यायालय ने कांग्रेस सांसद व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को समन जारी किये थे। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका पर 12 मई को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है। 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है। जिसके कारण शिकायतकर्ता व उसके परिवार की छवि धूमिल हुई है।

भाजपा ने खेती को लाभकारी बनाया, कांग्रेस किसानों को कर रही भ्रमित : सिसोदिया

मंदसौर। भाजपा के नवगठित मंदसौर संभाग के मीडिया प्रभारी एवं पूर्व विधायक यशपालसिंह सिसोदिया ने गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में पहली पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। सिसोदिया ने कहा कि गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन केवल राजनीतिक लाभ के लिए हैं, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे खेती लाभ का व्यवसाय बनी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है, जिससे मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हो रही है।

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री जसवंत कुशवाह श्रीमती प्रगति कुशवाह (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल11039415)	सिद्धांत पार्क, प्लॉट संख्या 248, ग्राम तलावली चंदा, तहसील जूनी, इंदौर, मध्य प्रदेश 452007 का पूरा भूखंड वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकार: भूमि बिक्री योग्य क्षेत्र: 800.00 वर्ग फुट	रुपये 1979800/- (रु. उन्नीस लाख उन्यासी हजार आठ सौ मात्र)	10/02/ 2026	05/05/ 2026
श्री राकेश सुमन श्रीमती रजनी सुमन (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10104672, आईएल10293625)	प्लॉट संख्या 252, सिंगापुर ग्रीन व्यू प्रीमियम-एनएक्स कॉलोनी, ग्राम-बिज्जुखेड़ी, तहसील सांवेर और जिला इंदौर 453771. क्षेत्रफल वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 630	आईएल10104672 के लिए रुपये 1329523/- (रु. तेरह लाख उन्तीस हजार पांच सौ तेईस मात्र) और आईएल10293625 के लिए रुपये 455137/- (रु. चार लाख पचपन हजार एक सौ सैंतीस मात्र)	06/01/ 2026	05/05/ 2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश /या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 8-5-2026 **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**